



भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.ईसीआई/प्रेसनोट/96/2017

दिनांक : 22 दिसम्बर, 2017

प्रेस नोट

विषय : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और सिक्किम से राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन तथा उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन।

2 राज्यों से निर्वाचित राज्य सभा के 4 सदस्यों, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, की पदावधि उनकी सेवानिवृत्ति के कारण समाप्त होने वाली है:-

क्रम सं.	राज्य	सदस्य का नाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1. डॉ. करण सिंह	27.01.2018
		2. श्री जर्नादन द्विवेदी	27.01.2018
		3. श्री परवेज हाशमी	27.01.2018
2.	सिक्किम	1. श्री हिशेय लाचुंगपा	23.02.2018

2. इसके अतिरिक्त, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आसीन सदस्य के त्यागपत्र देने के कारण उत्तर प्रदेश से राज्य सभा में एक आकस्मिक रिक्ति है:-

क्रम सं.	राज्य	सदस्य का नाम	रिक्ति का कारण	कार्यकाल की अवधि
1.	उत्तर प्रदेश	श्री मनोहर पर्रिकर	2 सितम्बर, 2017 को त्यागपत्र	25.11.2020

3. आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और सिक्किम से राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन करवाने तथा उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करवाने का निर्णय लिया है:-

1.	अधिसूचना जारी करना	29 दिसम्बर, 2017 (शुक्रवार)
2.	नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख	5 जनवरी, 2018 (शुक्रवार)
3.	नाम निर्देशन की संवीक्षा	6 जनवरी, 2018 (शनिवार)
4.	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	8 जनवरी, 2018 (सोमवार)
5.	मतदान की तारीख	16 जनवरी, 2018 (मंगलवार)
6.	मतदान का समय	पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक
7.	मतगणना	16 जनवरी, 2018 (मंगलवार) को अपराह्न 5:00 बजे
8.	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करवा लिया जाएगा	22 जनवरी, 2018 (सोमवार)

4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को राज्य सभा में तीन सीटें आबंटित की गई हैं जो वर्तमान में डॉ. करण सिंह, श्री जर्नादन द्विवेदी और श्री परवेज हाशमी द्वारा धारित हैं, जिनकी पदावधि 27 जनवरी, 2018 को समाप्त होगी। इस प्रकार, दिनांक 27 जनवरी, 2018 को उत्पन्न होने वाली उपर्युक्त सभी तीन रिक्तियों को नियमित आधार पर भरने के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन आयोजित किए जाने हैं।

5. इस विषय पर विधि के अनुसार तीन अलग निर्वाचनों को आयोजित करके इन तीन रिक्तियों को भरा जा रहा है क्योंकि इन तीन रिक्तियों में से प्रत्येक तीन भिन्न चक्रों के अन्तर्गत आती हैं जो 1952 में राज्य सभा के प्रारंभिक गठन के समय पर निर्धारित किया गया था। तीन अलग-अलग निर्वाचन आयोजित कराने के आयोग के निर्णय को इंडियन नेशनल काँग्रेस की ओर से सिविल रिट याचिका संख्या 1994 की 132 (ए. के. बालिया बनाम भारत संघ एवं अन्य) में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत किया गया था जिसमें यह दावा किया गया कि सभी तीन रिक्तियों को एक सामान्य निर्वाचन द्वारा ही भरा जाना चाहिए क्योंकि राज्य सभा के

निर्वाचनों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अन्तर्गत आयोजित किया जाता है। यद्यपि, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस याचिका को, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अभिनिर्धारित करते हुए **14** जनवरी, **1994** के अपने आदेश द्वारा खारिज कर दिया था:-

“ हमारा यह मत है कि जब एक बार प्रारम्भ से ही सीटों को तीन श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया है तो प्रतिवादी प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग निर्वाचन आयोजित करने में सही हैं। अब ये तीनों सीटें तीन अलग-अलग श्रेणियों में आती हैं, इसीलिए इन तीन सीटों के लिए निर्वाचन भी अलग-अलग ही होने हैं।”

6. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार अभिनिर्धारित विधि के अनुसार, उपर्युक्त तीन सीटें जो राज्य सभा में **27** जनवरी, **2018** को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से रिक्त होने वाली हैं, को प्रत्येक सीट को भरने के लिए, तीन अलग-अलग द्विवार्षिक निर्वाचन आयोजित करके भरा जाएगा।

(पवन दीवान)
अवर सचिव